रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229888
CG-DL-E-23092021-229888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943
No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2021

फा. स. स्टैंडर्ड्स/एसपी-05/टी(आईएफआर-01).—प्रारूप विनियमों में और संशोधन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 जिस में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारुप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप) धारा-2) के खंड)ड.के अधीन अपनी शक्तियों (का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतदद्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए प्रकाशित की जाएगी और यह नोटिस दिया गया है कि उक्त प्रारुप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजी जा सकती है।

आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त विर्निदिष्ट अवधि के अंतर्गत, उक्त प्रारुप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में

(1) लेबलिंग से संबंधित विनियम 4 में, पहले अनुच्छेद में, 'खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011' को निम्नलिखित शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020";

(2) विनियम 7 में,

(i) उप-विनियम (1) के खंड (छ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट टेबल में, क्रम संख्या 19 पर मापदंड विटामिन बी12 से संबंधित पंक्ति और उसके बाद की प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"19.	विटामिन बी12, μg	0.25-4.0	0.05-0.90"

(ii) उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात्:

"(3) जब पाउडर के रूप में शिशु फॉर्मूला किसी वनस्पति तेल, लिनोलिएट, विटामिन ई, स्टार्च, विनिर्दिष्ट खाद्य सहयोज्य और वैकल्पिक संघटकों के बिना बनाया जाता है, तो उस उत्पाद को 'शिशु के लिए दुग्ध खाद्य' कहा जा सकता है।"

(3) विनियम 10 में,

(i) उप-विनियम (1) के खंड (ज) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट टेबल में, क्रम संख्या 15 पर मापदंड विटामिन बी$_{12}$ से संबंधित पंक्ति और उसके बाद की प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"15.	विटामिन बी12, μg	0.25-4.0	0.05-0.90"

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (क) के अंतर्गत टेबल में,

(क) 'पीएच समायोजक एजेंट' शब्दों के स्थान पर "अम्लता नियामक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) वर्तमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"पैकेजिंग गैस		
कार्बन डाईऑक्साइड	290	जीएमपी"
नाइट्रोजन	941	

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./271/2021-22]

नोट: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा.स. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 4 दिसंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2021

F. No. Std/SP-05/T(IFR-01).—The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the

said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Amendment Regulations, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020,

   (1) in regulation 4 related to labelling, in the first paragraph, the words 'Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 shall be substituted with the following words, namely:-

   "Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020";

   (2) in regulation 7,

   (i) in sub-regulation (1), in the table specified under clause (g), the row and the subsequent entries at serial no 19 related to the parameter Vitamin B_{12}, shall be substituted with the following, namely:-

"19.	Vitamin B12, µg	0.25 – 4.0	0.05 –0.90"

   (ii) after the sub-regulation (2), following shall be inserted namely:-

   "(3) where an infant formula in powder format is manufactured without use of any vegetable oil, linoleate, vitamin E, starch, specified food additive and optional ingredients, the product may be named as 'Infant Milk Food'."

   (3) in regulation 10,

   (i) in sub-regulation (1), in the table specified under clause (h), the row and the subsequent entries at serial no 15, related to the parameter Vitamin B_{12}, shall be substituted with the following, namely:-

"15.	Vitamin B12, µg	0.25 – 4.0	0.05 –0.90"

   (ii) Insub-regulation (2), in the table under clause (a),

   (A) the words 'pH adjusting agents' shall be substituted with the words "Acidity regulators".

   (B) After the existing entries, following shall be inserted, namely:-

"Packaging gases		
Carbon dioxide	290	GMP"
Nitrogen	941	

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./271/2021-22]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. Stds/03/Notification (IFR)/FSSAI-2017, dated 4th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.23 12:53:50 +05'30'